

Status Report

Subject :- Order passed by Hon'ble NGT Principal Bench New Delhi on dated 18.05.2020 in case OA no. 695/2019 Hardesh Kirar V/s State of Madhya Pradesh.

With reference to the above case Hon'ble NGT Principal Bench New Delhi by order dated 18.05.2020 directed, let a joint committee comprising representative of the Bhopal Municipal Corporation, State PCB and the District Magistrate take further remedial action and furnish a compliance report before the next by email.

As per direction, Sub Divisional Magistrate (SDM- Revenue) Govindpura, Bhopal, Shri Manoj Verma, Additional Commissioner Nagar Nigam Bhopal Shri R.P. Mishra & Executive Engineer MPPCB, Bhopal Shri A.K. Bisen jointly inspected the site on dated 04.08.2020 mentioned in the order dated 18.05.2020 during inspection Revenue Inspector & Halka Patwari of concerned region were present. Panchnama of site inspection prepared is, as per **Annexure 1**. The factual status is submitted here by as follows –


1. Since this is case of Nalla Encroachment so MPPCB directed vide letter dated 25.06.2020 & 13.07.2020 to District Administration & Nagar Nigam Bhopal to take necessary action in this case.
2. In compliance Additional Commissioner Nagar Nigam Bhopal asked SDM Govindpura Bhopal vide letter no. 1224-1227 dated 29.07.2020 for demarcation report of said Nalla/Site. **Annexure 2**
3. SDM/Tehsildar informed that demarcation of complaint site has been done already on 30/08/2019 and provided demarcation Report. **Annexure 3**
4. SDM/Tehsildar Govindpura, Bhopal has directed Revenue inspector and Halka Patwari of the region to undertake Marking of complaint site on 07/08/2020 based on demarcation Report dated 30.08.2019 and also under take demarcation of remaining portion of the site if required and submit the report at the earliest.
5. After Marking of said site necessary action will be taken by District Administration and Nagar Nigam Bhopal jointly.

This status report is submitted for information and suitable action please.

Enclosure :- As above.


(A.K. Bisen)
Executive Engineer
RO, MPPCB, Bhopal
9827279273


(R.P. Mishra)
Additional Commissioner
Nagar Nigam, Bhopal
9425026189


(Manoj Verma)
SDM (Revenue)
Govindpura, Bhopal
9893091290

पंचनामा दिनांक - 04/08/2020

Annexure - I

15

आज दिनांक 04/08/2020 को माननीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बैच दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक 695/2019 में दिनांक 18/05/2020 के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोंविंदपुरा भौपाल एवं अपर आमुक्त नगर निगम भौपाल, तहसीलदार गोंविंदपुरा भौपाल एवं कार्यापालन संप्री म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भौपाल, राजस्व निरीक्षक व पटवारी के साथ मॉक निरीक्षण किया गया। अपर आमुक्त नगर निगम भौपाल के पत्र क्रमांक 1224-1227 दिनांक 29/07/2020 द्वारा तहसीलदार भौपाल को वाले के सीमांकन हेतु लेख किया गया है जिसके परिप्रेक्ष्य में एस.डी.एम. तहसीलदार गोंविंदपुरा भौपाल के द्वारा बताया गया कि स्थल का सीमांकन 30/08/2019 को किया जा चुका है तथा सीमांकन रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करायी गयी। उनके द्वारा राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी को सीमांकित क्षेत्र का चिन्हांकन दिनांक 07/08/2020 को पूर्ण करने के निदेश दिये गये तथा पूर्व सीमांकन यदि अपूर्ण हो तो उसे भी पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। चिन्हांकन के आधार पर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।



A.K. Bisen
EE MPICB



R.P. Mishra
ADC-NV



कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल
।।अपर आयुक्त कक्ष।।

Amme sure-2

क्रमांक...../अ.आ.क./2020

भोपाल,दिनांक...../..../2020

प्रति,

एस.डी.एम.
गोंविदपुरा, भोपाल

विषय- नाले पर अतिक्रमण किये जाने के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिसिंपल बैंच नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक ओ.ए. नं. 695/2019 हिरदेश किरार विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन।

संदर्भ- 1. माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09.2019।
2. क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पत्र क्रं.1491/क्षेका/प्रनिबो/एनजीटी-152, भोपाल दिनांक 25/06/2020।

—00—

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिसिंपल बैंच नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक ओ.ए. नं. 695/2019 हिरदेश किरार विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में दिनांक 18/05/2020 पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित हैं।

माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गये हैं, प्रकरण नाले पर अतिक्रमण किये जाने से संबंधित है। उक्त प्रकरण में आपके द्वारा नाले का सीमांकन किया जाना है, तत्पश्चात ही प्रकरण का निराकरण किया जाना संभव हो पायेगा।

अतः निवेदन है कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार नाले का सीमांकन रिपोर्ट नगर निगम द्वारा कार्यवाही करने हेतु आवश्यक है, उक्त कार्यवाही पश्चात ही माननीय अधिकरण के आदेश का पालन हो सकेगा।


(आर.पी. मिश्रा)

अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम,भोपाल

भोपाल,दिनांक 29/07/2020

12247027
क्रमांक...../अ.आ.क./2020

प्रतिलिपि-

1. आयुक्त महोदय की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
2. नगर निवेशक, भवन अनुज्ञा शाखा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संयुक्त संचालक, सचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की ओर प्रकरण के संबंध में दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु।

९/०


अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम,भोपाल

राजस्व आदेश पत्र

Amendment 3

न्यायालय तहसीलदार नजूल वृत्त गोविंदपुरा भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0028/अ-12/19-20

आदेश दिनांक 20/08/19

117

— प्रकरण आदेश हेतु नियत।

—प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हल्का पटवारी श्री नीरज विश्वकर्मा द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि नगर निगम ए.एच.ओ-16 के द्वारा श्री दिनेश कुमार पाल द्वारा बताया गया कि ग्राम कोलुआ कला के खसरा क्रमांक 81 नोइयत नाला को राजहोम्स मिनाल वालों ने शासकीय नाले पर अतिक्रमण कर कालोनी निर्मित की गई है तथा निजी भूमि में से नाला परिवर्तित कर दिया गया है। कोलुआ निवासी-हृदेश किरार की भूमि में से पानी निकलने के कारण उसने दीवार खड़ी कर दी है मौके पर नाला रिकार्ड अनुसार खुदवाने हेतु ग्राम दामखेड़ा पटवारी के अभिलेख की आवश्यकता होने से ग्राम कोलुआ कला एवं ग्राम दामखेड़ा का सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी को नियत दिनांक 23.06.2019 को दल गठित किया गया।

—उक्त संबंध में राजस्व निरीक्षक से सीमांकन उपरांत प्रतिवेदन एवं फील्ड बुक प्रस्तुत किये गये। उभय पक्षों श्री हृदेश किरार एवं राजहोम्स प्रतिनिधि श्री संजय मेहता को सीमांकन प्रतिवेदन की प्रति संलग्न कर सूचना पत्र क्रमांक 135/री.तह.न.गो/19 भोपाल दिनांक 05.07.2019 के द्वारा जारी किया गया कि यदि किसी भी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करना है तो नियत दिनांक 13.07.2019 तक कर सकता है अन्यथा सीमांकन को अंतिम अवसर मानकर प्रकरण में सीमांकन की कार्यवाही समाप्त कर दी जावेगी।

—उभय पक्षों सूचना पत्र तामील कराया गया सूचना उपरांत आज दिनांक तक किसी पक्ष के द्वारा कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः एक पक्षीय कार्यवाही कर पक्ष समाप्त किया जाता है एवं सीमांकन को अंतिम रूप मानकर सीमांकन स्वीकार किया जाता है। प्रकरण आर.सी.एम.एस में अपलोड हो। प्रकरण में शेष कोई कार्यवाही नहीं प्रकरण समाप्त होकर दा० रि० हो।

20/8/19
तहसीलदार
नजूल वृत्त गोविंदपुरा भोपाल
राजस्व प्रकरण क्रमांक 0028/अ-12/19-20

प्रति,

श्रीमान नदीबदार महोदय
नवल बृल, गोविन्दपुरा ।

Leader 1
पत्र जारी करें एवं
मुनिब बल के लिये
दिए गए निदेशों को

विषय - नाला अवरोध के सम्बन्ध में ।

महोदय,


उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि नगर निगम

A.H.O-16 श्री दिनेश कुमार पाल द्वारा बनाए गए अवरोध
नाले की स्थल जांच की ग्राम कोलुआ कला के
खसरा क्र - 81 नौइयत नाला की राज होक्स, मिनाल
वालों ने शासकीय नाले को अतिक्रमण कर कार्लोनी
निर्मित की गई है तथा निजी भूमि में से नाला
परिवर्तित कर दिया गया है। जिससे कोलुआ निवासी
हृदेश किरार की भूमि में से पानी निकलने के कारण
उसने दीवार खड़ी कर ली है। मौके पर नाला रिकॉ
अनुसार खुदवाते हेतु ग्राम दामरुडा पटवारी की अभिलेख
सहित आवश्यकता होगी। अतः इस कार्य के लिए दामरुडा र
कोलुआ ग्राम के श.नि. पटवारियों का दल गठन कर कर्मि
करने हेतु नगर निगम एवं पुलिस बल को आदेश कर
की कृपा करें ।

संलग्न - गूगल नक्शा एवं नक्शा सीट

Shankar
17/6/19

दाभखंडा



ग्राम (2)
 प.स.नं. १५४/१०७
 तहसील - इलाहाबाद
 जिला - सोनभद्र
 संचयन - १५४/१०७
 १/००

॥ = सोन नदी



15/10/2017



TRANSITION: US, INDIA, SEA, GEBBO
© 2014 Google
Imagery © 2014 DigitalGlobe

2

प्रतिवेदन

Leader -

प्रति,

श्रीमान् तदसीलदा 2 महोदय जी
नजूल वृत्त गोविन्दपुरा, भापाल

- फील्ड बुक एवं पंचनामा की रूल प्रक. कोलम करें.
- दामरवडा पटवारी इकिलेख प्रदान करें.
26/6/19

4

विषय -> सरकारी नाले का अतिक्रमण हेतु

महोदय, विवेदन है कि दिनांक 23/6/19 को आपके आदेशानुसार क्र- 99/री. तद. न. गो. /19 ग्राम कोलुआ कला स्थित खसरा नं 81 नोंईयात शासकीय नाले का सीमांकन आपके समक्ष एवं पंचनामे में उपरिपत्र उपस्थिति के समक्ष कराया गया। जिसमें पाया गया कि मूल नाला पर अतिक्रमण कर निर्माण किया जा रहा है। कृपा कर खसरा नं 81 नोंईयात नाले को मूल स्वरूप देने के लिए खसरा नं 111 (राज होम्स प्रा. लि) को आदेशित करें। उक्त कार्यवाही में दामरवडा ग्राम के अभिलेख की भी आवश्यकता होगी। कृपा कर दामरवडा पटवारी से अभिलेख लेकर ग्राम कोलुआ कला से लगे खसरा क्र. 81 से लगे दामरवडा ग्राम के खसरे की जानकारी लें। एवं नाले को मूल स्वरूप देने की कृपा कर आदेशित करें।

प्रतिवेदन श्रीमान् जी की ओर सादर प्रस्तुत

दिनांक
26/6/19

Nishankumar
पटवारी

संलग्न -> फील्ड बुक खसरा नं 81
पंचनामा (दिनांक 23/6/19)
तदसील आदेश क्र- 99/री. तद. न. गो. /19

कार्यालय तहसीलदार नजूल वृत्त गोविंदपुरा भोपाल

/री.तह.न.गो/19

भोपाल दिनांक /6/19

//आदेश//

हल्का पटवारी श्री नीरज विश्वकर्मा द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि नगर निगम ए.एच.ओ-16 के द्वारा श्री दिनेश कुमार पाल द्वारा बताया गया कि ग्राम कोलुआ कला के खसरा क्रमांक 81 नोइयत नाला को राजहोम्स मिनाल वालों ने शासकीय नाले पर अतिक्रमण कर कालोनी निर्मित की गई है तथा निजी भूमि में से नाला परिवर्तित कर दिया गया है। कोलुआ निवासी हृदेश किरार की भूमि में से पानी निकलने के कारण उसने दीवार खड़ी कर दी है। मौके पर नाला रिकार्ड अनुसार खुदवाने हेतु ग्राम दामखेड़ा पटवारी के अभिलेख की आवश्यकता होने से ग्राम कोलुआ एव ग्राम दामखेड़ा का सीमांकन हेतु निम्नलिखित राजस्व निरीक्षक एव हल्का पटवारियों को नियत दिनांक 23.6.19 को दल गठित किया जाता है।

अतः उपरोक्त वर्णित खसरा नंबर का सीमांकन नियत दिनांक 23.06.2019 को राजस्व निरीक्षक श्री दर्शनलाल नेगी के साथ श्री जगदीश पटेल राजस्व निरीक्षक, श्री भवानी सिंह दायमा राजस्व निरीक्षक एवं श्री नीरज विश्वकर्मा पटवारी, श्री भोला शंकर पटवारी, श्री शैलेंद्र जैन पटवारी को सीमांकन कार्य हेतु दल गठित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

क्रमांक 99 /री.तह.न.गो/19
प्रतिलिपि:-

1. अनुविभागीय अधिकारी नजूल वृत्त गोविंदपुरा भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. थाना प्रभारी थाना अशोका गार्डन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं नियत तिथि को आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
3. जोनल अधिकारी जोन क्रमांक 16 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. संबधित श्री शत्रुघ्न मिनाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

तहसीलदार
नजूल वृत्त गोविंदपुरा भोपाल
भोपाल दिनांक 21/6/19


तहसीलदार
नजूल वृत्त गोविंदपुरा भोपाल
नजूल वृत्त गोविंदपुरा, भोपाल

उत्तर की copy,
carbon 42 ली है book में

FIELD BOOK OF KHASRA NO - 81 IN VILLAGE - KOLUAKALAN



1:2500



7

प्रचनना

(8)

एक प्रचनना रात्र को लुआकला + दागवेडा सिवाल देली देली मर
 प्रचनना नादीक करे के लु आगा र देली लहा महेडु के पर
 अ उगा सी. न. व. को 179 को फाल दिनांक 21.6.19 के पास को रात्र
 को लुआकला के लारा उ. हा गले का लीनांक वावर लीनांक
 दल देली लाल नेगी परादीश उवास रावे लाम व फेल रा उ लें पर
 मल आगा र देली लहा महेडु महेडु के लाम उदरिप्ट दल
 दल रा ल हेम की मोल के आगे पत्र मे दना. एके ही दिहे दे
 फिल ए माल सिगत रीक दना उदरिप्ट महेडु के लें
 लदल दना उदरिप्ट पे चा के लाम लीनांक लाम
 प्रारम्भ 12.30 बजे लीनांक लाम प्रारम्भ 12.30
 मो म प्रचनना सिवाल देली वरुण मर मर

[Signature]

23/6/19

[Signature]
R.B.

[Signature]
23/6-19

[Signature]

[Signature]

दिनांक 9/10
A.M. 016

सीमांकन पंचनामा

9

एम पंचगण ग्राम कोलुआ कला + दामखंडा मिनह
 रसीडेंसी में यह पंचनामा तस्दीक करते हैं कि सीमान्त
 तस्दीकदार महोदय के आदेश क्र 99/सी. तह. न. गे / 19 प्रोपाल
 दिनांक 23/6/19 के पालन में ग्राम कोलुआ कला के खसरा क्र 81
 नाले का सीमांकन बलत सीमांकन दल दर्शनलाल बेगी,
 जगदीश पटेल, शैलेश्याम बघेल रा. नि. एवं पटेलका पटवारी एवं
 तह. के समस्त पटवारी मशीन के साथ उपस्थित हुए तथा राज होक्स
 की ओर से श्री संजय मेहता एवं श्री हर्देश किरर एवं नगर
 निगम टीम तथा पुलिस अधिकारी बल के साथ उपस्थित
 पंचमे हुए एवं सीमांकन कर नाले पर चना
 डालवाया गया एवं सीमांकन खसरा नं 81 (नाले) का सीमांकन
 सम्पन्न हुआ / निशान लगाकर सीमा अन्ह बनाए गए।
 वैसे पर पंचनामा लिखा, एवं पढ़कर सुनाया गया एवं हस्ताक्षर
 कर गए। समद रहे और वक्त आने पर काम आवे।

23/6/19

23.6.19

23.06.19

23.06.19

23/06/19



**न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नजूल वृत्त गोविन्दपुरा भोपाल
पुराना आर.टी.ओ कार्यालय कोहे-फिजा भोपाल**

क्रमांक 35/री.तह.गो/19

भोपाल दिनांक 05/07/19

प्रति,

1. श्री हृदेश किरार,
निवासी-भोपाल
2. राजहोम्स द्वारा श्री संजय मेहता,
निवासी-भोपाल

विषय:- राजस्व प्रकरण क्रमांक 0028/अ-12/19-20 ग्राम कोलुआ कला शासकीय नाले का सीमांकन के संबंध में।

संदर्भ:- इस न्यायालय का पत्र क्रमांक 99/री.तह.न.गो/19 भोपाल दिनांक 21.06.19

विषयांतर्गत लेख है कि इस न्यायालय का पत्र क्रमांक 99/री.तह.न.गो/19 भोपाल दिनांक 21.06.19 के द्वारा ग्राम कोलुआ कला ख0 नं0 81 नोइयत नाला का सीमांकन दिनांक 23.06.19 को किया गया है।

उक्त सीमांकन में यदि आपको कोई आपत्ति हो तो आप नियत दिनांक 13.07.2019 को स्वयं एवं अपने अभिभाषक के माध्यम में अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा सीमांकन को अंतिम मानकर प्रकरण में सीमांकन की कार्यवाही समाप्त कर दी जावेगी।

संलग्न:-

1. पंचनामा
2. फील्ड बुक

5125 किमी
नोइयत
01/07/2019

06.07.2019

तहसीलदार
 नजूल वृत्त गोविन्दपुरा भोपाल
 तहसीलदार
 कार्यपालिक दण्डाधिकारी
 नजूल गोविन्दपुरा भोपाल
 05/07/19

पाठक के पक्ष में कार्यपालिका द्वारा हृदेश
 फील्ड बुक तहसीलदाराद्वारा मध्य हृदेश
 पंचनामा & फील्ड बुक राठ हृदेश के आधार पर
 कार्यवाही नोइयत तहसीलदाराद्वारा मध्य हृदेश